

आपराधिक प्रक0क्र0 643/09

संस्थित दिनांक-07.09.09

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मालनपुर

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

गेंदालाल पुत्र छत्तरपाल जाटव उम्र 53 साल

निवासी ग्राम मछण्ड थाना रौन जिला भिण्ड

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 28.02.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 337, 338 दो बार एवं 304 ए के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 08.05.09 को मध्य रात्रि करीब 12 बजे तुकेंडा के पास भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग लोकमार्ग पर मारुति बेगेनार गाडी यू0पी0-92 के0-0329 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, इस प्रकार से चलाकर मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0-30 एम0बी0-2129 में टक्कर मारकर होमसिंह को स्वेच्छा उपहति व अतुल उर्फ राजू व राधेश्याम को गंभीर उपहति कारित की तथा मृतक घनश्याम की ऐसी मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 08.05.09 को रात्रि करीब 12 बजे मोटरसाईकिल एम0पी0-30 एम0बी0-2129 से फरियादी घनश्याम मालनपुर से भिण्ड की ओर जा रहे थे। पाना पुल के पास पहुंचे तो एक बेगेनार का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। उक्त बेगेनार यू0पी0-90 के0-0329 भी पलट गयी जिसमें भानू सोनी घायल हो गया। फरियादी, राधेश्याम व होमसिंह को भी चोटें आई। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क्र0-67/09 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया। आहतगण को चिकित्सीय परीक्षण हेतु ग्वालियर ले गए। इलाज के दौरान फरियादी घनश्याम की मृत्यु हो गयी। मर्ग कायम किया गया, शव परीक्षण कराया गया, कथन लेखबद्ध किए गए। वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

28/2/2017  
गु के 0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड मप्र



3. अभियुक्त को पद क्र 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के तहत परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.05.09 को मध्य रात्रि करीब 12 बजे तुकंडा के पास भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग लोकमार्ग पर मारुति बेगेनार गाडी यू0पी0-92 के0-0329 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या उक्त दिनांक, समय पर आहत होमसिंह, राधेश्याम तथा अतुल उर्फ राजू के शरीर पर उपहति मौजूद थी, यदि हाँ तो उनकी प्रकृति ?

3. क्या उक्त दिनांक, समय पर मृतक घनश्याम की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई ?

4. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा उक्त बेगेनार कार को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0-30 एम0बी0-2129 में टक्कर मारकर होमसिंह को उपहति व अतुल उर्फ राजू व राधेश्याम को गंभीर उपहति कारित की तथा मृतक घनश्याम की ऐसी मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में आर0सी0 पाठक अ0सा0 1, सुभाष बाबू अ0सा0 2 होमसिंह सिकरवार अ0सा0 3, डा0 व्ही0एस0 तोमर अ0सा0 4, राधेश्याम अ0सा0 5 व डा0 जे0पी0 गोयल अ0सा0 6 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

#### // विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 व 3 //

6. प्रकरण में तथ्यों व साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। आहत होमसिंह सिकरवार अ0सा0 3 के रूप में प्रस्तुत किया गया जो यह कथन करता है कि घटना 6-7 साल पहले दोपहर के दो तीन बजे की है। वे और राधेश्याम सिकरवार मोटरसाईकिल से मालनपुर से भिण्ड अपने गांव जा रहे थे। मोटरसाईकिल को घनश्याम चल रहे थे। तुकंडा गांव के पास एक अज्ञात कार चालक ने उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से घनश्याम के दोनों पैर की हड्डी टूट गयी, राधेश्याम को फेंककर आया तथा साक्षी स्वयं के बाएं पैर की हड्डी टूट जाने का कथन करता है। अन्य आहत राधेश्याम अ0सा0 5 घटना 6-7 साल पहले गर्मियों के दिनों की रात करीब 10:30 बजे की होना बताता है और यह कथन करता है कि वे, घनश्याम तथा होमसिंह मोटरसाईकिल से मालनपुर से गोहद तरफ ग्राम नोनेरा आ रहे थे तभी सामने से एक मारुति कार बहुत तेजी से आई और उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे उनकी मोटरसाईकिल खंदी (सड़क किनारे की

230303002952009  
गायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
मोहन तिलक मिश्र प्राधन



खाई) में गिर गयी और उसके पैरों व हाथ में चोट आई, घनश्याम के सामने से टक्कर लगने से उसे ज्यादा गंभीर चोट आई थी और बाद में वह खत्म हो गए थे, होमसिंह के कंधे पर चोट आने का कथन करता है।

7. प्रकरण में चिकित्सक डा० जे०पी० गोयल अ०सा० 6 अपने अभिसाक्ष्य में घटना दिनांक 08.05.09 को आकस्मिक चिकित्सा विभाग जे०ए० अस्पताल ग्वालियर में पदस्थ होने का कथन करते हैं। उक्त दिनांक को थाना मालनपुर के उपनिरीक्षक आर०सी० पाठक द्वारा आहत घनश्याम सिकरवार, अतुल उर्फ राजू, राधेश्याम पुत्र अर्जुनसिंह तथा होमसिंह पुत्र उम्मेदसिंह को लाए जाने पर उनके चिकित्सीय परीक्षण किए जाने का कथन करते हैं। चिकित्सीय परीक्षण में आहतगण को कई चोटें आने के संबंध में कथन करते हुए अपनी चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 4 लगायत 7 के रूप में प्रमाणित करते हैं जिन पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर बताते हैं। अभियुक्त की ओर से चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। मात्र प्र०पी० 4 की रिपोर्ट को फर्जी रूप से तैयार करने का सुझाव दिया गया है। आहतगण द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में उन्हें आई चोटें दुर्घटना में कारित होने के संबंध में कथन किया गया है और चोटों के संबंध में चिकित्सक द्वारा अपनी साक्ष्य में समर्थन किया गया है। प्र०पी० 4 लगायत 7 की रिपोर्ट प्रकरण में आहतगण के चोटों के संबंध में पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किए जाने से उन पर अविश्वास का कोई आधार नहीं है। अतः उक्त आहतगण को चोटें प्रमाणित हैं।

8. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से एकसरे परीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने के संबंध में दफ़्तर की धारा 294 के अधीन आवेदन प्रस्तुत कर उक्त दस्तावेजों की सत्यता को स्वीकार किया है। एकसरे परीक्षण रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप प्र०पी० 9, 10, 11 के रूप में आहत व मृतक घनश्याम, आहत राधेश्याम व अतुल की एकसरे रिपोर्ट प्रमाणित है। एकसरे रिपोर्ट स्वयं अभियुक्त द्वारा स्वीकार किए जाने से दिनांक 08.05.09 को आहतगण को शरीर पर अस्थिभंग होना प्रमाणित है।

9. प्रकरण में डा० व्ही० एस० तोमर अ०सा० 4 के रूप में परीक्षित कराए गए जो अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे जे०ए० अस्पताल में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे और उन्होंने दिनांक 10.05.09 को मृतक घनश्याम पुत्र रंजीत सिकरवार निवासी नोनेरा के शव परीक्षण हेतु आरक्षक नरेन्द्र द्वारा शव लाए जाने पर उसके शव की परीक्षा की थी। यह कथन करते हैं कि मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व की 12 चोटें शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में मौजूद थीं। उक्त चोटें किसी सख्त व भौथरी वस्तु से कारित होने के संबंध में व दुर्घटना में कारित होने का अभिमत प्रदान करते हैं। यह भी कथन करते हैं कि दोनों फीमर का फेक्चर और उससे उत्पन्न आंतरिक रक्तस्राव तथा उसकी जटिलताएं सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। मृतक की मृत्यु परीक्षण से 3 से 24 घण्टे के भीतर दुर्घटनात्मक प्रकृति से कारित होने के संबंध में

मायिक मजिस्ट्रेट प्रथम  
रिजिस्ट्रार सिविल प्र०एन



अपनी सुसंगत राय देते हैं। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रपी0 4 ए के रूप में अभिलेख पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर बताकर प्रमाणित करते हैं। इस साक्षी को भी शव परीक्षण रिपोर्ट असत्य तैयार किए जाने का सुझाव दिया गया, अन्यथा कोई चुनौती नहीं दी गयी।

10. आर0सी0 पाठक अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि दिनांक 08.05.09 को फरियादी घनश्याम पुत्र रंजीतसिंह द्वारा मारुति बेगेनार यू0पी0 92 के 0329 के चालक द्वारा एकसीडेंट करने की रिपोर्ट की थी जिसमें कई लोगों को चोटें आना बताई थी। इसे साक्षी अप0क0-67/09 प्र0पी0 1 के रूप में पंजीबद्ध किए जाने व उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में मृतक घनश्याम की शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 4 ए, साक्षी राधेश्याम, अ0सा0 5 के कथन व आर0सी0 पाठक अ0सा0 1 के समर्थनकारी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 08.05.09 को मृतक घनश्याम की मृत्यु एवं आहतगण को चोटें सड़क दुर्घटना में कारित हुई थी। प्रकरण में अब इस तथ्य के संबंध में विवेचन किया जाना है कि क्या अभियुक्त द्वारा कथित बेगेनार यू0पी0-92 के0-0329 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर उक्त आहतगण को उपहति कारित की गयी तथा मृतक घनश्याम पुत्र रंजीत सिकरवार की मृत्यु कारित की गयी ?

#### // विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 4 //

11. प्रकरण में प्राथमिकीकर्ता घनश्याम है जिसकी मृत्यु इलाज के दौरान हो चुकी है। प्राथमिकी का अन्य साक्षी आर0सी0 पाठक अ0सा0 1 उसका निष्पादक है जो वाहन यू0पी0 92 के0-0329 के चालक द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने के संबंध में तथ्य लिखाए जाने से प्र0पी0 1 की प्राथमिकी पंजीबद्ध किए जाने का कथन करते हैं। ऐसे में आर0सी0 पाठक अ0सा0 1 स्वयं घटना के साक्षी नहीं हैं। घटना के अन्य साक्षी होमसिंह अ0सा0 3 अपने मुख्य परीक्षण में अज्ञात कार के चालक द्वारा टक्कर मारने के संबंध में कथन करते हैं। साक्षी को पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्नों में भी अभिकथित कार यू0पी0-92 के0-0329 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से उसे चलाकर टक्कर मार देने के सुझाव से इंकार करता है।

12. साक्षी राधेश्याम अ0सा0 5 भी प्रकरण में आहत है। वह अपने अभिसाक्ष्य में मारुति कार के तेजी से आकर उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार देने के संबंध में कथन करते हैं। मुख्य परीक्षण में अभिकथित गाडी का नंबर साक्ष्य दिनांक को याद न होने का कथन करते हैं। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया जो सूचक प्रश्न में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जैसे ही वे तुर्केंडा से सिद्धेश्वर नगर के पहले पहुंचे तभी मारुति वेन क्रमांक यू0पी0-92 0329 के चालक ने तेजी व लापरवाहीसे चलाकर उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी। किन्तु यह साक्षी भी अपने प्रतिपरीक्षण में अभिकथित वेन के चालक को न पहचानने और सामने आने पर भी पहचानने में अस्मर्थ

28/05/09  
20 के0-0329  
मायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
नेपाल प्रिया सिन्हा पाठक



होने का कथन करते हैं। ऐसे में अभियुक्त के अभिकथित वाहन के चालक होने के संबंध में दोनों आहतगण द्वारा कोई भी कथन नहीं किया गया है।

13. प्र०पी० 1 की प्राथमिकी में वाहन मारुति वेगेनार यू०पी०-92 के०-0329 लेख किया गया है जबकि साक्षी राधेश्याम को उसके अभिसाक्ष्य में मारुति वेन यू०पी०-92 के०-0329 के चालक द्वारा तेजी व त्वापरवाही से दुर्घटना कारित करने का सुझाव दिया गया है। ऐसे में उक्त तथ्यों में प्रथम दृष्ट्या विरोधाभास है। प्रकरण में ऐसा कोई भी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया जा सका जो कि इस तथ्य की पुष्टि करता हो कि घटना दिनांक 08.05.09 को उक्त वाहन यू०पी०-92 के०-0329 का चालन अभियुक्त द्वारा किया जा रहा था। होमसिंह अ०सा० 3 अपने मुख्य परीक्षण में कथित दुर्घटना के बाद बेहोश हो जाने के कारण गाडी व उसके चालक को न देख पाने का कथन करते हैं। प्र०पी० 3 के पुलिस कथन के विनिर्दिष्ट भाग को पुलिस को दिए जाने से इंकार करते हैं। ऐसे में आहत द्वारा घटना के संबंध में मामले का समर्थन न किया जाना संदेह उत्पन्न करता है।

14. प्रकरण में अभियोजन दस्तावेजों के अनुसार दिनांक 08.05.09 को घटनास्थल से एक मारुति वेन क० यू०पी०-92 के०-0329 को दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में जब्त करना दर्शाया है। उक्त जब्ती पत्रक अभियुक्त के आधिपत्य से वाहन की जब्ती का नहीं है। अभियुक्त के आधिपत्य से वाहन के दस्तावेजों को जब्त किया जाना दर्शाया गया है। ऐसे में वाहन दुर्घटना के दस दिन बाद 18.05.09 को अभियुक्त के आधिपत्य से दस्तावेजों का जब्त किया जाना उसके उत्तरदायी होने का आधार नहीं बन सकता है। प्रकरण में अभिकथित वाहन से यदि दुर्घटना कारित होना मान भी लिया जाए तो अभियुक्त द्वारा घटना के समय उक्त वाहन क० यू०पी०-92 के०-0329 को चलाया गया तथा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाया गया, इस संबंध में अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा उक्त वाहन यू०पी०-92 के०-0329 के पंजीकृत स्वामी का कोई भी प्रमाणीकरण नहीं लिया गया है। अभियोजन की ओर से जिस व्यक्ति केशव सोनी पुत्र राधेश्याम सोनी का कथन धारा 161 दप्रस संलग्न है वह वाहन का स्वामी नहीं है बल्कि वाहन का स्वामी ब्रजमोहन सोनी नाम का व्यक्ति है जो कि अभियोजन द्वारा साक्षी नहीं बनाया गया है। साथ ही उक्त वाहन के संबंध में घटना के समय कौन चालक था, इसका साक्ष्य घटनास्थल पर मौजूद व्यक्ति ही दे सकता था जबकि प्रकरण में आहतगण अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में कोई समर्थन नहीं करते हैं।

15. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892

2020-21  
मायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
जिला सिविल कोर्ट



में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 08.05.09 को मध्य रात्रि करीब 12 बजे तुकेंडा के पास मिण्ड ग्वालियर राजमार्ग लोकमार्ग पर मारुति बेगेनार गाडी यू0पी0-92 के0-0329 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, इस प्रकार से चलाकर मोटरसाईकिल कमांक एम0पी0-30 एम0बी0-2129 में टक्कर मारकर होमसिंह को स्वेच्छा उपहति व अतुल उर्फ राजू व राधेश्याम को गंभीर उपहति कारित की तथा मृतक घनश्याम की ऐसी मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 337, 338 दो बार तथा 304 ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्त की जमानत निरस्त की जाती हैं, उसके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

18. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।



ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला मिण्ड मध्य प्रदेश

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला मिण्ड मध्य प्रदेश